रा.प्र.-315

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एंव लेखा राज0, जयपुर

क्रमांक एफ.1(सी) 1878/जांच/2025/ 579-80 दिनांकः- 04/07/2025

:: ज्ञापन ::

श्री सम्पतराम मीना, निलम्बित, सलेअ-I हाल मुख्यालय कार्यालय कोषाधिकारी, दौसा को एतद्-द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके विरूद्व राज. सिविल सेवायें(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। अनुशासनिक जांच कार्यवाही से संबंधित अभिकथन जिनके आधार पर जांच कार्यवाही करने का निर्णय लिया है संलग्न आरोप-पत्र में वर्णित हैं.और जिन अभिकथनों/आरोप विवरणों के आधार पर आरोप-पत्र तैयार किया गया है, वे संलग्न किये गये हैं।

श्री सम्पतराम मीना, निलम्बित, सलेअ-I को सूचित किया जाता है कि इस ज्ञापन की प्राप्ति दिवस से 15 दिवस की अवधि में लिखित कथन (Written Statement) प्रस्तुत करें।

श्री सम्पतराम मीना, निलम्बित, सलेअ-I को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने बचाव पक्ष की तैयारी के लिए किसी सुसंगत राजकीय अभिलेख का उद्धरण लेना चाहें या निरीक्षण करना चाहें तो कार्यालय **पंचायत समिति, थानागाजी जिला अलवर** में 15 दिवस की अवधि में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर निरीक्षण/उद्धरण ले सकते हैं। किन्तु यह ध्यान में रहे कि यदि निम्नहस्ताक्षरकर्ता की राय में उक्त अभिलेख तत्प्रयोजनार्थ सुसंगत नहीं है अथवा ऐसे अभिलेखों को दिखाने की अनुज्ञा देना लोकहित के विरूद्व है, तो ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण करने अथवा उनमें से उद्धरण लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

श्री सम्पतराम मीना, निलम्बित, सलेअ-I को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उक्त निर्धारित समयावधि में उनका लिखित कथन प्राप्त नहीं हुआ तो उनके विरूद्व नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

श्री सम्पतराम मीना, निलम्बित, सलेअ-I उक्त अनुशासनिक जांच कार्यवाही के प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हों तो लिखित कथन में इस आशय का स्पष्टतः उल्लेख अंकित करें।

श्री सम्पतराम मीना, निलम्बित, सलेअ-I का ध्यान राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम 24 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें प्रावधान उल्लेखित है कि कोई सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन अपने सरकारी मामले में अपने हित को बढ़ावा देने के लिए किसी उच्च प्राधिकारी पर दबाव डालने के लिए कोई राजनैतिक या अन्य प्रभाव नहीं लायेगा, न लाने की (ऐसी) कौशिश करेगा। अतः इन प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करें और इस प्रकरण के संदर्भ में कोई अभ्यावेदन आपके संबंध में अन्य व्यक्ति का प्राप्त हुआ तो यह अवधारणा की जावेगी कि अभ्यावेदन की जानकारी आपको है और आपकी पहल पर ही यह प्रस्तुत हुआ है अतः आपके विरूद्व राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1971 के नियम 24 के उल्लंधन के संदर्भ में कार्यवाही की जावेगी।

इस ज्ञापन के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति भिजवावें।

संलग्नः– आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र

श्री सम्पतराम मीना, (रजिस्टर्ड)
निलम्बित, सलेअ–I
हाल मुख्यालय कोषाधिकारी,
दौसा

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एंव पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ.1(सी) 1878/जांच/2025/ 574-80 दिनांकः– 02/07/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर ।
2 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, थानागाजी जिला अलवर ।
3 कोषाधिकारी, दौसा
4 सहायक निदेशक(कार्मिक–I), कोष एवं लेखा विभाग, राज0, जयपुर को उनके यूओनोट क्रमांक 436 दिनांक 17.06.2025 के क्रम में ।
5 वरिष्ठ निजी सचिव, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर
6 रक्षित पत्रावली

(हिंगलाज दान)
सहायक निदेशक (जांच)

राजस्थान सरकार
<u>निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर</u>

आरोप पत्र विरूद्ध श्री सम्पतराम मीना निलंबित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I अन्तर्गत राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप :–

<u>आरोप पत्र</u>

श्री सम्पतराम मीना, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड –। कार्यालय पंचयत समिति, थानागाजी, अलवर द्वारा दिनांक 02.02.2024 को कार्यवाहक विकास अधिकारी के साथ मारपीट करने के कारण पुलिस थाना थानागाजी, अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0050 दिनांक 02.02.2024 के आधार पर श्री सम्पतराम मीना सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I को पुलिस द्वारा दिनांक 02.02.20224 को पुलिस हिरासत में लिया गया।

उक्त के क्रम में इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 3150–58 दिनांक 07.03.2024 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियमों के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री सम्पतराम मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I को निलम्बित किया जाकर निलम्बन काल में श्री मीना का मुख्यालय कोषालय, दौसा किया गया ।

इस प्रकार श्री मीना, निलंबित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के उक्त कृत्य से विभाग शर्मसार हुआ है साथ ही राज्य सरकार की छवि भी ख़राब हुई है । अतः श्री मीना राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के उल्लंघन किये जाने हेतु आरोपित है ।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एंव पदेन
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

आरोप विवरण

आरोपों से संबंधित अभिकथनः–01

श्री सम्पतराम मीना, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I कार्यालय पंचयत समिति, थानागाजी, अलवर द्वारा दिनांक 02.02.2024 को कार्यवाहक विकास अधिकारी के साथ मारपीट करने के कारण पुलिस थाना थानागाजी, अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0050 दिनांक 02.02.2024 के आधार पर श्री सम्पतराम मीना सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I को पुलिस द्वारा दिनांक 02.02.20224 को पुलिस हिरासत में लिया गया ।

उक्त के क्रम में इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 3150 – 58 दिनांक 07. 03.2024 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियमों के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री सम्पतराम मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I को निलम्बित किया जाकर निलम्बन काल में श्री मीना का मुख्यालय कोषालय, दौसा किया गया ।

इस प्रकार श्री मीना, निलंबित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के उक्त कृत्य से विभाग शर्मसार हुआ है साथ ही राज्य सरकार की छवि भी खराब हुई है। अतः श्री मीना राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के उल्लंघन किये जाने हेतु आरोपित है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एंव पदेन
संयुक्त शासन सचिव

f:\22222222\जांच अनुभाग दिनांक 01.08.2024\prakash\cca - 16\1800\1878\new microsoft word document.docx